

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- / / 2026

संख्या-17/ए 1-13/2023-

/स्वा०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के सुपरस्पेशियलिटी विभागों के अन्तर्गत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक के पद पर, उनके विहित वेतनमान/वेतन स्तर-13 सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	विभाग	पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	डा० अमिताभ वर्मा, सह-प्राध्यापक	18.12.1967	कार्डियोथोरासिक सर्जरी	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	डा० ज्योति प्रकाश लाल कर्ण, सह-प्राध्यापक	09.12.1982	कार्डियोलॉजी	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
- किसी विभाग में प्राध्यापक के स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त संस्थान के अन्य विभाग में प्राध्यापक के रिक्त पद/समकक्ष पद के विरुद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
- भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने की स्थिति में तदनुसार इसे संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-13/2023- 144 (17) पटना, दिनांक :- 02/02/2026

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा- 02, 03, 08, 09 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।